न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जयप्रकाश, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्याः— 05/2014/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1 भूरा
2 मांगू } पुत्रगण माना
3 मंगला

4 प्रेम
5 मिश्री } पुत्रियां फूला
6 लाली

7 दाखली बेवा माना
जाति माली निवासी ग्राम मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः—23.10.2019

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मावण्डा कला के ख0न0 482 रकबा 2.20 है कि खातेदारी भूराराम, मांगूराम पालाराम पिता मानाराम प्रेम मिश्री लाली पुत्री फूलाराम दाखली बेवा मानाराम हिस्सा 1/2 पोखर बादर पिता रामनाथ हिस्सा 1/2 जाति माली निवासी मावण्डा कला दर्ज है। उक्त भूमि सम्बत 2012 से राजस्व रिकार्ड में ख0 नं. 482 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा माफी मन्दिर रघुनाथ जी वाके देह हणमान पुजारी मोहनदास चेला प्रभातराम 3/4 राधाकिशन वल्द लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/4 की है। सम्वत् 2012 से उक्त भूमि को काश्तकार गोविन्द पुत्र सीता माली निवासी मावण्डा कलां काश्त करते रहने पर भूमि कृषक के नाम सं. 2020 में दर्ज सहवन से हुई है। उक्त भूमि पर मन्दिर के पुजारियो कृषक के कई वर्षो से विवाद चल रहा है। भूमि पटवारी के अनुसार पड़त रहती है। उक्त भूमि की खातेदारी मन्दिर मूर्ति रघुनाथ के नाम किये जाने बाबत रेफरेन्स श्रीमान् की सेवा में पेश है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त आराजियात की खातेदारी मन्दिर मूर्ति रघुनाथ के नाम से दर्ज किये जाने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स किया जावे।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की और से वकील श्री रामेश्वरसिंह उपस्थित आये। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित रहें। रेफरेन्स आवेदन का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2012 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी कॉलम संख्या 5 नाम उपभोक्ता में माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी पुजारी मोहनदास चेला प्रतापदास कौम स्वामी राधाकिशन वल्द लक्ष्मी नारायण एवं कृषक के कॉलम में गोविन्दा वल्द सीता कौम माली सा.देह के नाम से दर्ज रिकॉर्ड अंकित हैं। जमाबन्दी सम्वत्

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

माली सा.देह के नाम से दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2053–2056 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी भूराराम मांगूराम पालाराम पि. भानाराम प्रेम मिश्री लाली पुत्री फूलाराम दाखली बेवाह भानाराम हि. 1/2 पोकर बहादर पि.रामनाथ हि. 1/2 कौम माली सा.देह के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2012 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी पुजारी मोहनदास चेला प्रतापदास कौम स्वामी राधाकिशन वल्द लक्ष्मी नारायण के नाम दर्ज रिकॉर्ड होने के बावजूद जमाबन्दी सम्वत् 2020–2023 में उक्त आराजियात की खातेदारी गोविन्दा वल्द सीताराम कौम माली सा.देह के नाम अंकित की गई है जो बिना किसी आदेश के दर्ज कर दी गई है। मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज भूमियों पर किसी अन्य को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 482 की खातेदारी अन्य खातेदारान के नाम दर्ज हुई है, जो निरस्त होने योग्य है। खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः मन्दिर मूर्ति रघुनाथ जी के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयप्रकाश)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official